

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3885 का उत्तर

सीकर निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे समपारों की संख्या

3885. श्री अमरा राम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितने रेलवे समपार हैं और उन पर कितने अंडरपास बनाए गए/बनाए जा रहे हैं;
- (ख) निर्माणाधीन रेल उपरि पुलों की संख्या कितनी है और उनके पूरा होने की अपेक्षित तारीख क्या है;
- (ग) जहां आवश्यक हो वहां रेलवे समपारों पर अधोगामी और उपरि पुलों के निर्माण को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और
- (घ) ऐसे अधोगामी पुलों की संख्या कितनी हैं जो टिन शेड से ढके नहीं हैं और इससे बरसात के मौसम में वहां आवाजाही रुक जाती है और जल जमाव हो जाता है जिसे बरसात के मौसम में पम्प से नहीं निकाला जाता?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): समपार के बदले में ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के कार्यों को मंजूरी देना भारतीय रेल की एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्य गाड़ी परिचालन में संरक्षा पर इसके प्रभाव, गाड़ियों की गति और सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव और व्यवहार्यता, निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर शुरू किए जाते हैं।

वर्ष 2004-14 की तुलना में 2014-24 की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित उपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4148 अदद
2014-24	11945 अदद (लगभग तीन गुना)

01.04.2024 तक, भारतीय रेल पर 92,692 करोड़ रुपये की लागत से 4200 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें राजस्थान राज्य में 4737 करोड़ रुपये की लागत से ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के 444 अदद स्वीकृत कार्य शामिल हैं, जो निष्पादन और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सीकर संसदीय क्षेत्र में 11 अदद समपार तथा 136 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल हैं। वर्तमान में 87 करोड़ रुपये की लागत पर 02 अदद ऊपरी सड़क पुल तथा 03 अदद निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं।

ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों का पूरा होना और चालू होना, समपार को बंद करने के लिए सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग, पहुंच मार्ग आरेखण को निर्धारित करने, सामान्य आरेखण व्यवस्था को मंजूरी देने, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण विशेष परियोजना/क्षेत्र के लिए एक वर्ष में कार्य अवधि आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।

इसके अलावा, रेलवे ने जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए कई कारगर उपाय किए हैं। नए निचले सड़क पुल/सब-वे की योजना के अभिन्न अंग के रूप में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मौजूदा निचले सड़क पुल/सब-वे में जल प्रवाह को निकटवर्ती पुल और नालों/नालियों की ओर मोड़ना, पहुंच मार्गों पर कवर शेड का प्रावधान, निचले सड़क पुल के प्रवेश पर हंप का प्रावधान, क्रॉस नालियों का प्रावधान, ज्वाइंट्स को बंद करना आदि कारगर उपाय व्यवहार्यता, उपयुक्तता और साइट की आवश्यकताओं के अनुसार किए गए हैं। इसके अलावा,

चिन्हित ऊपरी सड़क पुल के लिए पम्पिंग की व्यवस्था भी की गई है, ताकि आपातकालीन स्थिति में पानी को तेजी से बाहर निकाला जा सके और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए असाधारण/असामान्य बारिश की स्थिति में सड़क यातायात को रोकने का प्रावधान किया गया है। कवर शेड के प्रावधान का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है।
